

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु कैम्प-रिबिया

क्रमांक : प्र.गा.स./2021/ 196

दिनांक : 23-11-2021

निर्णय:-

प्रार्थी श्री.....बलराम.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....कृष्णराम.....
ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम.....रिबिया.....पटवारी मण्डल.....खण्ड पीथीसा.....
तहसील चूरु जिला चूरु की चालू जमाबन्दी सम्वत्.....2071-74.....के खाता संख्या.....183.....में
खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति.....बलवीर.....अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है।
जिसे सम्मानजनक रूप से.....बलराम.....अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन
पत्र की जांच पटवारी हल्का.....रिबिया.....से करवाने पर पटवारी ने.....बलवीर.....के
बजाय.....बलराम.....करना उचित बताया। तहसीलदार, चूरु ने भी उक्त खाते में.....बलवीर.....
के बजाय.....बलराम.....करना उचित बताया।

अंतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम
369 राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम.....रिबिया.....
के खाता संख्या.....183.....में खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति.....बलवीर.....
के स्थान पर सम्मानजनक रूप से.....बलराम.....दर्ज करने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार,
चूरु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुखस्ती करें।



23/11/21
उपखण्ड अधिकारी
चूरु
उपखण्ड अधिकारी,
(Land Record Officer)
चूरु

जा.स. 1319
24-11-21

